

17वीं लोकसभा का कामकाज: एक वस्तुतः विश्लेषण

यह एडिटरियल 12/02/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित [“Parliamentary affairs: On the last session of the 17th Lok Sabha”](#) लेख पर आधारित है। इसमें 17वीं लोकसभा के संसदीय कार्यकरण के प्रदर्शन पर प्रकाश डाला गया है जहाँ इसकी उपलब्धियों और चर्चा के क्षेत्रों दोनों पर विचार किया गया है।

प्रलिस के लिये:

[लोकसभा](#), [महिला आरक्षण विधियक 2023](#), [जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधियक 2019](#), [डिजिटल डेटा संरक्षण विधियक](#), [नजी सदस्यों के विधियक \(PMB\)](#), [जैविकविधिता \(संशोधन\) विधियक 2021](#), [तीन श्रम संहिता](#), [तीन कृषि कानून](#), [IPC 1860](#), [CrPC 1973](#) और [भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872](#) को प्रतिसिथापित करने वाले तीन विधियक।

मेन्स के लिये:

17वीं लोकसभा की प्रमुख उपलब्धियाँ, 17वीं लोकसभा के कामकाज में प्रमुख चर्चाएँ, लोकसभा के कामकाज में गरिब के नहितार्थ।

17वीं लोक सभा—जिसकी बैठकें जून 2019 से फ़रवरी 2024 तक संपन्न हुईं, ने 1354 घंटों तक चले कुल 274 सत्र आयोजित किये और लगभग 97% की सराहनीय कार्य उत्पादकता दर दर्ज की।


हालाँकि 17वीं लोकसभा के संचालन को कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है, विशेष रूप से शोरगुल के बीच और पर्याप्त बहस के बिना विधियक पारित करने की सरकार की जल्दबाजी के संबंध में, जहाँ सदन की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली प्रभावित होती नज़र आई।

17वीं लोकसभा की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या रहीं?

- कई प्रमुख विधियकों का पारित होना: 17वीं लोकसभा में 179 विधियक (वित्त और वनियोग विधियकों को छोड़कर) पारित किये गये। वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सबसे अधिक संख्या में (इनमें से प्रत्येक ने 15%) विधियक प्रस्तुत किये, जिसके बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय (9%) और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (9%) का स्थान रहा। इनमें शामिल कुछ प्रमुख विधियक ये रहे:
 - [महिला आरक्षण विधियक 2023](#)
 - [जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधियक 2019](#)
 - [मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त \(नियुक्ति, सेवा की शर्तें एवं कार्यालय की अवधि\) विधियक, 2023](#)
 - [तीन श्रम संहिताएँ](#)
 - [डिजिटल डेटा संरक्षण विधियक, 2023](#)
 - [तीन कृषि कानून](#) (जिनमें बाद में नरिस्त कर दिया गया)।
 - [IPC 1860, CrPC 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिसिथापित करने वाले तीन विधियक](#)।
- नजी सदस्य विधियक (Private Member Bills): 17वीं लोकसभा में 729 नजी सदस्य विधियक पेश किये गए।
- मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गए पत्र: 17वीं लोकसभा के दौरान मंत्रियों द्वारा 26,750 पत्र (papers) सदन पटल पर पेश किये गए।
- संसदीय स्थायी समितियाँ (Parliamentary Standing Committees): उन्होंने कुल 691 रिपोर्टें प्रस्तुत कीं और समितियों की 69% से अधिक अनुशंसाएँ सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गईं।
- डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग: 17वीं लोकसभा में 'पेपरलेस ऑफिस' की परिकल्पना को साकार करते हुए संसदीय कार्यों में डिजिटल टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है।
 - वर्तमान में 97 प्रतित से अधिक प्रश्न सूचनाएँ (question notices) इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा रही हैं।
- नया संसद भवन: 19 सितंबर 2023 को संसद एक नए परिसर में स्थानांतरित हो गई। इसने भारत के लोकतंत्र के सदन के रूप में प्रतिष्ठित गोलाकार इमारत से सेंट्रल वसिटा (सहि शीर्ष युक्त त्रिकोणीय इमारत) में एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित किया।
- तारांकित एवं अतारांकित प्रश्न: 17वीं लोकसभा के दौरान 4,663 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए, जिनमें से 1,116 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया गया। इसी अवधि में 55,889 अतारांकित प्रश्न भी पूछे गए जिनका सदन में लिखित उत्तर प्राप्त हुआ।

17वीं लोकसभा के कार्यक्रम से संबद्ध प्रमुख चर्चाएँ क्या हैं?


- 17वीं लोकसभा में सभी पूर्णकालिक लोकसभाओं में से सबसे कम बैठकों का आयोजन: 17वीं लोक सभा की कुल 274 बैठकें हुईं। केवल चार पछिली लोक सभाओं में इससे कम बैठकें हुई थीं, जिनमें से सभी पाँच वर्ष के कार्यकाल से पूर्व ही वधित हो गई थीं। इस लोकसभा के दौरान आयोजित 15 सत्रों में से 11 समय-पूर्व स्थगित कर दी गईं।



Note: * indicates a term less than five years; ** indicates a six year term.


- पहली बार उपाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं: [संविधान के अनुच्छेद 93](#) के अनुसार लोकसभा यथाशक्य शीघ्र एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करेगी। यह पहली बार हुआ कि लोकसभा ने अपनी पूरी अवधि में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं किया।
- पेश किये जाने के दो सप्ताह के भीतर वधियकों का पारित हो जाना: 17वीं लोकसभा के कार्यकाल के दौरान पेश किये गए अधिकांश वधियक (58% वधियक) उन्हें पेश किये जाने के दो सप्ताह के भीतर पारित कर दिये गए।
 - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन वधियक 2019 और महिला आरक्षण वधियक 2023 तो पेश होने के दो दिनों के भीतर ही पारित कर दिये गए।
 - 35% वधियक लोकसभा में एक घंटे से भी कम की चर्चा अवधि के साथ पारित कर दिये गए।

Time taken to pass Bills



- 20% से भी कम वधियक समितियों को भेजे गए: 16% वधियक ही वसितुत संवीक्षा के लिये समितियों को भेजे गए। यह पछिली तीन लोकसभाओं के संगत आँकड़ों से नमिन स्तर को प्रदर्शित करता है।

% Bills referred to Committees




- **कुछ ही नज़ि सदस्य वधियकों और प्रस्तावों पर चर्चा:** 17वीं लोकसभा में **729 नज़ि सदस्य वधियक** पेश कयि गए जो 16वीं लोकसभा को छोड़कर अन्य सभी लोकसभाओं से उच्च संख्या को प्रदर्शति करती है। हालाँकि इनमें से केवल दो नज़ि सदस्य वधियकों पर ही सदन में चर्चा हुई।
- **बजट चर्चा के लिये कम समय:** गुज़रते वर्षों में लोकसभा में बजट चर्चा का समय कम होता जा रहा है।
 - वर्ष 2019 से 2023 के बीच औसतन लगभग 80% बजट पर बना चर्चा के ही मतदान हो गया। वर्ष 2023 में तो पूरा बजट ही बना चर्चा के पारति कर दया गया।
- **गंभीर सुरक्षा उल्लंघन:** **13 दसिंबर 2023 को संसद पर हमले (13 दसिंबर 2001) की बरसी के अवसर पर गंभीर सुरक्षा उल्लंघन** का मामला सामने आया जब लोकसभा में **शून्यकाल** के दौरान दो व्यक्ता सार्वजनिक दीर्घा से सभा कक्ष में कूद आए और उन्होंने कनसुतरो से पीला धुँआ छोड़ते हुए नारेबाज़ी की।
- **अपराधीकरण की वृद्धि:** **भारतीय राजनीत में अपराधीकरण** की बढ़ती प्रवृत्त राजनीतिक क्षेत्र में अपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों की बढ़ती उपस्थति एवं प्रभाव को दर्शाती है।
 - एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रफिॉरम्स (ADR) की एक रपिॉरट के अनुसार 17वीं लोकसभा में **नरिवाचति संसद सदस्यों में से 43% के वरिद्ध अपराधिक मामले लंबति थे।**

Cause for concern

The Supreme Court on Thursday flagged the alarming increase in incidence of criminals in politics


MPs with pending criminal cases:



- The 2018 Constitution Bench judgment that formed the basis for Thursday's verdict said: Rapid criminalisation of politics cannot be arrested by merely disqualifying tainted legislators but should begin by "cleansing" political parties

No political party offers an explanation as to why candidates with pending criminal cases are selected as candidates

JUSTICE NARIMAN, on February 13, 2020



लोकसभा के कार्यकरण में इस गरिावट के क्या नहितार्थ हैं?

- **संस्थागत वशिवसनीयता का कमज़ोर पड़ना:**
 - अपनी वधियाी उत्तरदायतिवों को प्रभावी ढंग से नभाने की लोकसभा की असमर्थता संसदीय संस्थाओं की वशिवसनीयता एवं प्राधिकार को कमज़ोर कर सकती है।
 - इससे देश का लोकतांत्रिक ताना-बाना कमज़ोर हो सकता है और नरिवाचति प्रतनिधियों की वैधता घट सकती है।
- **जवाबदेही में कमी:**
 - संसदीय सत्तों की कम संख्या और सदस्यों की कम भागीदारी के साथ, सरकार के कार्यकरणों की पर्याप्त संवीक्षा नहीं हो पाती है।
 - इससे जवाबदेही कम हो सकती है क्योंकि वधि निर्माताओं के पास सरकार की नीतियों, नरिणयों एवं व्यय पर सवाल उठाने के कम अवसर

होंगे।

■ अपर्याप्त प्रतनिधित्व:

- जनसंख्या के वविधि हितों का प्रतनिधित्व करने के लिये संसदीय सहभागिता महत्त्वपूर्ण है।
- जब सहभागिता कम हो जाती है तो कुछ आवाज़ें हाशिये पर चली जाती हैं, जिससे फरि कम समावेशी नीतिनरिमाण एवं वधिान की स्थितिबिनती है जो सभी संघटकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से संबोधति करने में वफिल हो सकते हैं।

■ अक्षम नीतिगुणवत्ता:

- सारथक संसदीय सहभागिता में आमतौर पर वधिनिरिमाताओं के बीच गंभीर बहस, वचिर-वमिरश और सहयोग शामिल होता है।
- जब सहभागिता का स्तर कम हो जाता है तो अपर्याप्त आदान, संवीक्षा एवं वशिलेषण के परिणामस्वरूप नीतिनरिमाण की गुणवत्ता प्रभावति हो सकती है।

■ अवरुद्ध नवोनमेष:

- संसदीय सहभागिता प्रायः जटलि चुनौतियों के लिये नवीन समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिये एक मंच के रूप में कार्य करती है।
- सहभागिता में गरिवट वचिरों के आदान-प्रदान और नवोनवेषी नीतिनरिमाण दृष्टिकोण को बाधति कर सकती है, जिससे प्रगति और बदलती परिस्थितियों के प्रतानुकूलन में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

■ भ्रष्टाचार को बढ़ावा:

- अपराध और राजनीतिके बीच का गठजोड़ भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, क्योंकि अपराधिक पृष्ठभूमि वाले राजनेता अपनी शक्ति एवं प्रभाव को बनाए रखने के लिये रशिवतखोरी, जबरन वसूली और अन्य अवैध गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
- यह भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता एवं अखंडता को बढ़ावा देने के पर्याप्तों को कमजोर करता है।

आगे की राह

■ संसद की बेहतर छवि का निर्माण करना:

- संसद की बेहतर छवि के निर्माण के लिये संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय लागू किये जाएँ, जैसे सत्रों का सीधा प्रसारण, संसदीय दस्तावेजों एवं रिकॉर्ड तक पहुँच बढ़ाना और संसद सदस्यों की उपस्थिति एवं कार्य-निष्पादन को सार्वजनिक करना।

■ सदस्यों की गुणवत्ता में सुधार:

- राजनीतिक दलों को संसदीय चुनौतियों के लिये उम्मीदवारों के चयन के लिये योग्यता-आधारित मानदंड अपनाने के लिये प्रोत्साहित किया जाए, जहाँ योग्यता, अनुभव एवं सार्वजनिक सेवा के प्रतप्रतबिद्धता पर बल दिया जाए।
- हाशिये पर स्थिति समुदायों और कम प्रतनिधित्व वाले समूहों का उचित प्रतनिधित्व सुनिश्चित कर वविधिता एवं समावेशिता को बढ़ावा देना।

■ एक संवधिान समिति का गठन करना:

- एक संवधिान समिति (Constitution Committee) समकालीन चुनौतियों और उभरती सामाजिक आवश्यकताओं को संबोधति करने में इसकी प्रासंगिकता, पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का आकलन करने के लिये संवधिान की समय-समय पर समीक्षा कर सकती है।
- यह सुनिश्चित करेगा कि संवधिान बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढलने में सक्षम एक जीवंत दस्तावेज बना रहे।

■ वभिनिन राजनीतिक दलों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना:

- पक्षपातपूर्ण एजेंडे पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिये संसदीय समितियों के भीतर सहयोग एवं द्वदिलीय या बहुदलीय सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना उपयुक्त होगा।
- रचनात्मक संवाद और सर्वसम्मत निर्माण को प्रोत्साहित करने से संवीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता बढ़ सकती है और संसदीय नगिरानी सुदृढ़ हो सकती है।

■ संवीक्षा समर्थन को सबल करना:

- संसदीय समितियों को उनके संवीक्षा पर्याप्तों में सहायता के लिये स्वतंत्र अनुसंधान एवं वशिलेषणात्मक सहायता तक पहुँच प्रदान किया जाए।
- इसमें संसद के भीतर समर्पित अनुसंधान इकाइयों स्थापति करना या जटलि मुद्दों पर वशिषजज्ञता प्रदान करने के लिये बाहरी अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोग करना शामिल हो सकता है।

■ संभावति प्रभावों का आकलन करना:

- वभिनिन कषेत्रों और हतिधारकों पर प्रस्तावति कानून के संभावति प्रभावों का आकलन करने के लिये वभिनिन वशिलेषणात्मक उपकरणों एवं पद्धतियों का उपयोग किया जाए।
- इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभावों की पहचान करने के लिये लागत-लाभ वशिलेषण, जोखमि मूल्यांकन और परदृश्य योजना-नरिमाण शामिल हो सकता है।

■ आचरण के नियम स्थापति करना और लागू करना:

- संसदीय कार्यवाही के लिये आचरण के स्पष्ट एवं प्रवर्तनीय नियम लागू किये जाएँ, जहाँ शष्टाचार संबंधी अपेक्षाएँ, भाषणों के लिये समय सीमा, आपत्तियों उठाने की प्रक्रिया और व्यवधानकारी व्यवहार के परिणाम को रेखांकित किया जाए।

नषिकर्ष

भारत को सावधानीपूर्वक वचिर-वमिरश और सर्वसम्मत-नरिमाण के माध्यम से संसद संबंधी, राजनीतिक दल संबंधी, नरिवाचन संबंधी एवं न्यायिक सुधारों सहति राजनीतिक और आर्थिक सुधार के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। यह सामूहिक पर्याप्त देश में हमारी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को संवृद्ध करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में संसदीय कार्यकरण के मानकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। भारतीय संसद के भीतर जवाबदेही और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय भी सुझाइये।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/functioning-of-17th-lok-sabha-a-detailed-analysis>

